संख्या–2827 / 26–3–2010–10(44) / 2004–टी0सी0

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 2 नवम्बर, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या– 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अंतर्गत आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–172 / ज0जा0वि0 / 2010–2011,दिनांक 22–7– 2010 एवं शासनादेश संख्या–1453 / 26–3–2010, दिनांक 26–4–2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के आयोजनेतर पक्ष के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–'' के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 67.13 लाख (रूपये सड़सठ लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त / स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2010–11 में पूरे वर्ष के लिए है। अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेंजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1– 951 / दस– 2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) अनुदान एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

राकेश जी0ओ0

(4) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए भी स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं उसका आहरण संबंधित जनपदो में ही किया जाय। स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों को धनराशि उनके वैयक्तिक लेखा खाते के माध्यम से भुगतान की जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुर्नर्विनियोग न किया जाये। (6) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0–13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(7) सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ,छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन, वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान/वृद्धावस्था पेंशन एवं इस प्रकार के अन्य मदों के लिए पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–2003 /दस–2010,दिनांक 01 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–2827 (1)/26–3–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ ।
4–वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 ।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6–सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

राकेश जी0ओ0

शासनादेश सं0–2827 / 26–3–2010–10(44) / 2004–टी0सी0, दिनांक नवम्बर, 2010 का संलग्नक

अनुदान संख्या–81 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक / योजना / मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2010–2011
राजस्व लेखा 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– –आयोजनेतर– 02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–	
17–जनजाति उपयोजना– 01–एकीकृत विकास योजना, लखीमपुर खीरी 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	3352
योग–01	3352
02–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम–थारू विकास परियोजना गोण्डा 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	2603
योग–02	2603
03– अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता– 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	291
योग–03	291
04– बिखरी आबादी वाली जनजाति का विकास 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	467
योग–04	467
योग–17	6713

(रूपये सड़सठ लाख तेरह हजार मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव।

राकेश जी0ओ0